न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/245

राधेश्याम पुत्र स्व0 श्री परसराम जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम शिवपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. स्वर्गीय छोटूलाल आत्मज भूरा जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम शिवपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्योजी
   1/2. ओम प्रकाश पिसरान स्वर्गीय श्री छोटूलाल जी जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम शिवपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/3. अंजना
   1/4. मडी
   1/5. बिरधी बाई
   1/6. मनीार बाई
   1/7. धन्नी बाई पुत्रियॉ स्वर्गीय श्री छोटूलाल जी जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम शिवपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/8. श्रीमती भूरी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री छोटूलाल जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम शिवपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. हजारी लाल आत्मज स्व0 परसराम जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम शिवपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. मोहन लाल तंवर आत्मज स्व0 परसराम जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम शिवपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी जिला नियोजन अधिकारी देवी नगर, जयपुर ।
4. सुवालाल आत्मज स्व0 श्री परसराम जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम शिवपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. भू–स्वामी जरिये तहीसलदार के0 पाटन जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री विरेन्द्र चौहान, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 29.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम शिवपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी खसरा नम्बर 66 की लगभग 20 बीघा भूमि स्थित थी जो पूर्व में सिवायचक दर्ज थी । उक्त भूमि में से 15 बीघा भूमि प्रतिवादी अपीलान्ट एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्टगण कम 2 लगायत 4 के पिता श्री परसराम जी आत्मज श्री किशना जी को आवंटित की गई थी । खसरा नम्बर 66 की शेष भूमि में से 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि मांगीलाल मांग्या को आवंटित की गयी थी परन्तु आवंटी मांगीलाल का उसको आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा था । खसरा नम्बर 66 की 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि रामप्रसाद मीणा को आंवटित की गई तथा शेष भूमि एक अन्य व्यक्ति जो बैरवा जाति का उसे आवंटित की गई थी । मांगीलाल मोग्या को आवंटित भूमि रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा पर आवंटी मांगीलाल का कभी भी कब्जा नहीं रहा है तथा उसने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से आवंटित आराजी वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 को वर्ष 2007 में बेचान कर दी थी । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद में दिनांक 11.04.2017 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.05.2017 शहादत प्रतिवादी हेतु नियत की गई थी । अधीनस्थ न्यायालय ने शहादत प्रतिवादी लिये बिना ही बहस समाअत किये बिना ही प्रकरण को लोक अदालत में निर्णित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 20 नियम 05 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना किये बिना ही तनकीवार निर्णय पारित नहीं करने में त्रुटि की है । पक्षकारान ने लोक अदालत में किसी प्रकार का कोई राजीनामा पेश नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में 2015 डीएनजे (रेवेन्यू) पेज 235 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अपीलान्ट को शहादत हेतु कई अवसर प्रदान किये थे परन्तु उन्होंने शहादत पेश नहीं की । वादी ने सीमाएं घोषित करवाने व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । वादी खातेदार है जिसे प्रतिवादी भी स्वीकार करते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को विधि सम्मत रूप से लोक अदालत में रखते हुए निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में शहादत पेश करने में लम्बित थी । जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.05.2017 नियत की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने नियत तारीख पेशी से पूर्व ही इसे लोक अदालत में रखा और इसी दिन दावा डिक्री कर दिया । पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 05 तनकीयात कायम की थी । अधीनस्थ न्यायालय की आदेश संचिका में केवल तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं । पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है । जबकि लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थिति होकर विधिक राजीनामा पेश करे इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह लोक अदालत की भावना के विपरीत पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट मृतक छोटू लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 87, 88 92अ, एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम शिवपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 66/750 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है । प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कोई हक एवं आधिपत्य नहीं है । प्रतिवादीगण ताकत के बल पर जबरन वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि को छीनने, नष्ट, भ्रष्ट करने एवं रास्ता रोकने पर आमादा है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित सीमा को वादी की खातेदारी की भूमि की सीमा में होना घोषित किया जाकर तद्नुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावे एवं अन्य भू–राजस्व अभिलेखों में आवश्यक इन्द्राज किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह बलपूर्वक वादी के कब्जे की भूमि से वादी को बेदखल नहीं करे, नष्ट, भ्रष्ट नहीं करे और वादी के हक एवं आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधि आदि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी पर तरमीम कर चतुर्थ सीमा घोषित किये जाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री 10.05.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शिवपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी खसरा नम्बर 66 की लगभग 20 बीघा भूमि स्थित थी जो पूर्व में सिवायचक दर्ज थी । उक्त भूमि में से 15 बीघा भूमि प्रतिवादी अपीलान्ट एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्टगण क्रम 2 लगायत 4 के पिता श्री परसराम जी आत्मज श्री किशना जी को आवंटित की गई थी । खसरा नम्बर 66 की शेष भूमि में से 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि मांगीलाल मांग्या को आवंटित की गयी थी परन्तु आवंटी मांगीलाल का उसको आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा था । खसरा नम्बर 66 की 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि रामप्रसाद मीणा को आंवटित की गई तथा शेष भूमि एक अन्य व्यक्ति जो बैरवा जाति का उसे आवंटित की गई थी । मांगीलाल मोग्या को आवंटित भूमि रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा पर आवंटी मांगीलाल का कभी भी कब्जा नहीं रहा है तथा उसने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से आवंटित आराजी वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को वर्ष 2007 में बेचान कर दी थी । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद में दिनांक 11.04.2017 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.05.2017 शहादत प्रतिवादी हेतु नियत की गई थी । अधीनस्थ न्यायालय ने शहादत प्रतिवादी लिये बिना ही बहस समाअत किये बिना ही प्रकरण को लोक अदालत में निर्णित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 05.12.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29.10.18

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा